

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

सीसीएमएस नं. 2024 / 480

मुकदमा नम्बर 171 / 2024

दर्ज दिनांक- 18.10.2024

1. प्रदीप कुमार पुत्र गीगाराम,
2. रवीन्द्र कुमार पुत्र गीगाराम (दरोगा) निवासीगण ग्राम रामपुरा, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये मुख्तियार बलवंतसिंह पुत्र बजरंग सिंह निवासी विधाभारती स्कूल सीकर, जिला सीकर
-आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

वकील आवेदक : - श्री प्रदीप कुमार झाझडिया

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 22.11.2024


प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खाता सं. नया 193 पुराना 150 के अन्तर्गत खसरा नं. 375 रकबा 1.85 है, खसरा नं. 376 रकबा 2.04 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3.89 है 0 में प्रार्थी की जाति माली के स्थान पर रावणा राजपूत (दरोगा) दर्ज किये जाने के आदेश किये जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक की ओर से पैरा. राज. उपस्थित हो पटवारी हल्का चिराना की फर्द रिपोर्ट मय दस्तावेज पेश किये तथा दुरुस्ती की जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक का प्रा. पत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा दस्तावेजों से साबित है। लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खाता सं. नया 193 पुराना 150 के अन्तर्गत खसरा नं. 375 रकबा 1.85 है, खसरा नं. 376 रकबा 2.04 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3.89 है 0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी प्रदीप कुमार व रवीन्द्र की जाति माली के स्थान पर रावणा राजपूत (दरोगा) दर्ज कर दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दपतर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय सिंह)/RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुंझुनू